



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

13 फाल्गुन, 1943 (श०)

संख्या - 94 राँची, शुक्रवार,

4 मार्च, 2022 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना

20 दिसम्बर, 2021

संख्या-08/FSL(07)-14/2016- 4736--भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल एतद् द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या-5173, दिनांक-26.11.2012 द्वारा अधिसूचित झारखण्ड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला लिपिकीय सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली, 2012 में संशोधन करते हुए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-3849, दिनांक-10.08.2021-सह-असाधारण गजट संख्या-418, दिनांक-12.08.2021 में उक्त अधिसूचना की कंडिका-4 (क) में अंकित निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर भर्ती की प्रक्रिया (ख) शैक्षणिक योग्यता-(1) अनिवार्य योग्यता में अंकित "सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अनिवार्य होगी"के स्थान पर निम्न प्रावधान प्रतिस्थापित किया जाता है:-

“अनिवार्य योग्यता:- अभ्यर्थियों को आयोग (झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग) में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अनिवार्य होगी ।”

उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक/10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा ।”

परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा ।“

2. राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला लिपिकीय सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली, 2012 के शेष प्रावधान यथावत् रहेंगे ।

3. उक्त संशोधन के पश्चात् यह नियमावली राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला लिपिकीय सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली, 2021 कहलाएगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राजीव अरूण एक्का,
सरकार के प्रधान सचिव ।
